अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास

(Origin and Growth of Auditing) :-

अंकेक्षण के विकास का इतिहास

आदिम युग में मनुष्य आत्स्वावलम्बी था। उसे विनिमय करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वह जंगलों में रहता था, जानवरों का मांस था, कंद,फल,मूल आदि खाता था। इसलिए मानव सम्यता के अत्यन्त प्रारंभिक चरण में विनिमय नहीं था। Books of Account नहीं थें इसलिए अंकेक्षण भी नहीं था।

विकास के क्रम में पूरी दुनिया में और प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता रहा है। फलस्वरूप, मनुष्य दूसरों के साथ विनिमय करने के लिए बाध्य हुआ, आत्मस्वावलम्बी वह नहीं रह सका। इसी प्रकार विकास की गति तेज होने के क्रम में पुस्तक–पालन का कार्य प्रारंभ हुआ। अर्थात् लेन–देन का लिखित रूप में वहीं–खातों में रखने का कार्य प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप व्यापार उद्योग के क्षेत्र की आवश्यक्ता में अत्याधिक विस्तार होता गया। इस कारण बहीं–खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सभ्यता, शुद्धता, पूर्णता, एवं नियमानुकूलता के साथ–साथ विश्वसनीयता का प्रश्न , आ खड़ा हुआ

अंकेक्षण की उत्पत्ति (Origin of auditing) :- किसी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यवस्था में सार्वजनिक कोष के निर्माण तथा उसके व्यय की बात सोची गयी अंकेक्षण की उत्पति भी उसी के साथ हुई। अंकेक्षण का प्रारंभिक रूप हमें आधुनिक संगठित लेखांकन प्रणाली के आने से पूर्व मिस्त्र, रोम या ग्रीस के साम्राज्यों के समय राजकीय बही खातों के हिसाब किताब की जाँच की प्रथा के रूप में मिलता हैं। वस्तुत: लेखांकन की आवश्यकता के साथ-साथ अंकेक्षण की आवश्यकता का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में भी लेखा-परीक्षण की किसी न किसी प्रकार की प्रथा अवश्य प्रचलित थी। जैसे :- वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100 वे सर्ग में जब भरत जी रामचन्द्र जी से मिलने गये और श्री राम ने भारत से आमदनी और खर्च का ब्यौरा पूछा यह इस बात का प्रतीक है कि उस समय भी लेखांकन और - परीक्षण की कोई प्रथा उपलब्ध थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लेखा कर्म तथा अंकेक्षण की प्रणालीयों की उत्पत्ति के बहुत पूर्व ही राजकीय आय-व्ययों के सदर्भ में हो चुकी थी। विद्वानों के मतानुसार अंग्रेजी का शब्द 'ऑडिट' जिसका हिन्दी पर्यायवाची अंकेक्षण हैं, लैटिन भाषा के 'ऑडायर' शब्द से बना है जिसका अर्थ सुनना होता है। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि प्राचीन काल में अंकेक्षण न्यायधीश की भाँति केवल दुसरों के द्वारा लिखे गये हिसाब-किताब को सुनकर उसकी सत्यता एवं शुद्धता पर अपना मंतव्य दिया करते थे व्यवसाय के क्षेत्र में अंकेक्षण का प्रादुर्भव सरकारी क्षेत्र से ही हुआ। आधुनिक व्यवसाय के विकास के साथ-साथ अंकेक्षण का रूप भी निखरता गया तथा इसका क्षेत्र व्यापक होता चला गया। इसके विकास के प्रथम चरण में यह रोकड-प्राप्तियों एवं भुगतानों की जाँच करने तक ही सीमित था किन्तु वर्तमान में अंकेक्षण की क्रिया के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों की नियमानुकूलता एवं शुद्धता प्रमाणित करना भी शामिल किया जाता है।

अंकेक्षण का विकास (Growth of Auditing) :-

1. सन् 1494 से 1914 तक :-

15 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और जिसके परिमाणस्वरूप 1494 ई0 में व्यावसायिक जगत में लेखांकन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अविष्कार हुआ। सन् 1914 में ल्यूकास पेसिओली ने जो, कि इटली के वेनिस शहर का निवासी था, लेखांकन की दोहरे लेखे प्रणाली को जन्म दिया जिसका प्रचार व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ही तीव्र गति से हुआ। इसका मुख्य कारण इंगलैण्ड की औधोगिक क्रांन्ति थी।

इंग्लैण्ड के कम्पनी अधिनियम, 1844 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसके अनुसार आर्थिक चिट्ठा तैयार करना तथा उसकी जाँच कराना वैधानिक तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। इसके इस पेशे की माँग एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 11 मई 1880 को इंग्लैण्ड में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड की स्थापना की गयी।

2. **सन्** 1914 **से** 1932 **तक** :-

वस्तुतः भारत में अंकेक्षण का इतिहास 1914 से प्रारंभ होता है। भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913 के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा-पुस्तकों को अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया। यह कानून भारत में 1 अप्रैल 1914 से लागू किया गया। किन्तु उस समय भारत में इस विषय की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः यहाँ भी अंकेक्षण का कार्य इंग्लैण्ड की इन्स्टीट्यूट से सनद की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही करते थे। इसके पश्चात् इंग्लैण्ड में सन् 1923 में एक दूसरी संस्था ब्रिटिश एसोसियेशन ऑफ एकाउण्टेण्ट्स एण्ड ऑडिटर्स की स्थापना हुई।

3. सन् 1932 से 1949 तक :-

सन् 1932 क बाद G.D.A पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया तथा 1932 में ही ऑडिटर्स सर्टीफिकेट रूल्स बनाये गये तथा उसके अनुसार रजिस्टर्ड एकाउण्टेण्ट की उपाधि निर्गत की जाने लगी। इसके पश्चात् अंकेक्षण कों की योग्यता निर्धारित करना, उन्हें नियमित करना तथा सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यो का निष्पादन करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ गया। पुनः इण्डियन एकाउन्टेन्सी बोर्ड की स्थापना की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था।

4. सन् 1949 से 1956 तक :-

सन् 1949 में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 बनाया गया जो 1 जुलाई, 1949 से लागू हुआ। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किये गये जिसमें से 1959 1964 तथा 1982 के संशोधन महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में अंकेक्षण सम्बन्धी नियम इसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाते है। आगे चलकर इसी अधिनियम के आधार पर भारतीय चार्टर्ड लेखापालक संस्था की स्थापना की गयी।

5. सन् 1956 से 1960 तक :-

अंकेक्षण के विकास के महत्व के संबंध में 1956 का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पुराना कम्पनी अधिनियम 1913 को समाप्त कर 1 अप्रैल, 1956 को एक स्तृित कम्पनी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत अंकेक्षकों के दायित्व और भी व्यापक हो गये।

6. सन् 1960 के बाद :-

कम्पनी अधिनियम 1956 में अनेक महत्वपूर्ण संशोदकर कर दिये गये। यही कारण है कि अंकेक्षण के दृष्टिकोण से यह वर्ष अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये संशोधन 1960, 1956, 1969, 1971, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982 तथा 1988 में किये गये। इन संशोधनो से अंकेक्षको के दायित्व काफी बढ़ गये है। अब लागत लेखों का भी अंकेक्षण होता है। 1964 में चार्टर्स एकाउण्टेण्ट रेगुलेशन्स भी पास किये गये।

अंकेक्षण के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व

1 **औधोगिक क्रांति :-** औधोगिक क्रांति ने अंकेक्षण के विकास या आवश्यकता को काफ हद तक प्रभावित किया है। औधोगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप मानवशक्ति की जगह पर यान्त्रिक शक्ति का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा जिससे उत्पादन तथा वितरण प्रणाली में भारी परिवर्तत आ गया। दूसरे शब्दों में औधोगिक क्रांति से व्यावसायिक संस्थाओं का स्वरूप ही बदल गया। छोटी-छोटी औधोगिक संस्थाओं की जगह पर भीमकाय औधोगिक संस्थाएँ स्थापित होने लगी। व्यावसायिक संस्थाओं के आकार में परिवर्तन के साथ-साथ लेखांकन एवं अंकेक्षण की प्रक्रियाएँ भी बदलती गयी।

२. व्यवसाय क सामाजिक उद्देश्य :-

विगत कुछ वर्षो से व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब व्यवसायी वर्ग यह सोचने के लिए बाध्य है कि वह सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लाभार्जन करें। व्यवसाथ के बदलते हुए इस उद्देश्य से न केवल अंकेक्षण के महत्व में ही वृद्धि हुई है बल्कि अंकेक्षको के दायित्व भी बढ गये है। इस बदलते हुए परिवेश में अंकेक्षण की मध्ता में वृद्धि होना एक स्वाभाविक -सी बात है।

३. स्वामित्व का प्रबन्ध से अलगाव (Diverce between ownership and Management) :- वर्त्तमान में स्वामित्व तथा प्रबन्ध में अलगाव का माहौल पैदा हो गया है। अब व्यावसायिक संस्थाओं का प्रबन्ध पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहकर अन्य व्यक्तियों के हाथ में चला गया है। इससे अंकेक्षण का महत्व और भी बढ़ गया है। पूँजी का प्रयोग समुचित ढ़ंग से किया जा रहा है या नही' इसकी जांच मात्र अंकेक्षण की एक विशुद्ध प्रणाली से ही संभव है यही कारण है आज लगभग सभी देशों में कम्पनियों के हिसाब-किताब की जाँच करने के लिए योग्य अंकेक्षकों को नियुक्त करना विधान द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार स्वामित्व का प्रबन्ध से अलगाव ने अंकेक्षण के विकास को प्रभावित किया है।

४. न्यायालयों से निर्णय (Decisions of the court) :-

न्यायालयों के निर्णयों ने भी अंकेक्षण के विकास को काफी हद तक प्रभापित किया है। विगत कुछ वर्षो में व्यावसायिक जगत तथा अंकेक्षकों की भूतिका के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुए है आज न्यायालयों द्वारा व्यावसायिक विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा उनमें गुणात्मक सुधार की बात कही जा रही है।

५. राज्य द्वारा नियमन (Regulation by the state) :-

विगत कुछ दशाकों में राज्य द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं के नियमन के क्षेत्र को व्यापक कर दिया है। इस संबंध में भारत में कम्पनी अधिनियम 1956 पूँजी निर्गमन व नियंत्रण अधिनियम, 1947 तथा श्रम कानून बनाये गये है। इससे अंकेक्षक के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में काफी वृद्धि हुई है।

६. पेशे का नियमन (Regulation of Profession) :-

वर्त्तमान में प्रत्येक देश में पेशे का नियमन हो रहा है। भारत में प्रत्येक देश में पेशे का नियमन हो रहा है। भारत में इस पेशो का नियमन ''दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड'' से होता है। इस प्रकार पेशे के नियमन ने भी अंकेक्षण विकास को प्रभावित किया है।

7. अन्तराष्ट्रीय लेखांकन मानको की स्थापना :- (Establishment of International Accounting standard) :- वर्त्तमान में अंतराष्ट्रीय लेखांकन मानको की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे विभिन्न देशों के अंकेक्षको द्वारा अपनायी जाने वाली तकनीकों एवं उनके दृष्टिकोणों में समानता आ जायेगी।

8. यंत्रीकृत लेखांकन का प्रभाव (Effect of Machanised A/C) :-

वर्त्तमान में लेखांकन के क्षेत्र में भी यंत्रों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे अंकेक्षण कार्य में अंकेक्षकों को परिवर्तन लाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कम्प्यूटर में लेखांकन के क्रम स्पष्ट नही देखे जा सकते किन्तु श्रमिलेखों की शुद्धता की गारण्टी रहती ळें

9 **Origin of Joint Stock Company -**औद्योगिक क्रांति के साथ ही का उद्‌गम हुआ। इस कंपनी में व्यापार का स्वामित्व तथा व्यापार अलग–अलग व्यक्ति के हाथ में होता है। अतः ऐसी कंपनी का अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया ।

10 उद्योगों तथा व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप– प्राचीन काल में व्यवसाय केवल व्यापारी ही स्वतंत्र रूप से करता था। लेकिन अब व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप काफी बढ़ गए है। अतः अंकेक्षण का महत्व यहां पर अधिक बढ़ गया है।

11 करों के प्रावधान का प्रभाव–कर अधिकार अंकेक्षित हिसाब–किताब की ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। अतः व्यापारिक संस्थानों पर लगे आय–कर, बिक्री–कर आदि ।